कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अधिसूचना क्रमांक सीओ/ एपीपीआर /**2024/01**

<u>अप्रेंटिसशिप (संशोधन) अधिनियम **1961/1973** के अंतर्गत अपरेंटिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति</u>

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा इंजीनियरिंग (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक/डिप्लोमा और सामान्य स्ट्रीम में स्नातक की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं। निम्नलिखित प्रशिक्षण स्लॉट के लिएअप्रेंटिसशिप (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत एक वर्ष के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरने के लिए स्नातक प्रशिक्षु या तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु के लिए है ।

शैक्षणिक योग्यता	चिकित्सा श्रेणी	यूआर	ओबीसी- एनसीएल	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	कुल
सिविल इंजीनियरिंग	बी1	14	8	4	2	2	**30**
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	बी1	10	5	3	1	1	**20**
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	बी1	6	2	1	0	1	**10**
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	बी1	10	5	3	1	1	**20**
डिप्लोमा (सिविल)	बी1	14	8	4	2	2	**30**
डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल)	बी1	10	5	3	1	1	**20**
डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक्स)	बी1	6	2	1	0	1	**10**
डिप्लोमा (मैकेनिकल)	बी1	10	5	3	1	1	**20**
सामान्य स्ट्रीम स्नातक	सी1	14	8	4	2	2	**30**
कुल		**94**	**48**	**26**	**10**	**12**	**190**

यूआर-अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी-अनुसूचित जाति, एसटी-अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (एनसीएल)-अन्य पिछड़ी जाति-नॉन क्रीमी लेयर।

I. पात्रता मापदंड **:**

1. उम्मीदवारों को राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना पोर्टल पर खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। पहले से वैध अनुमोदित एनएटीएस आईडी के बिना आए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. जो उम्मीदवार पिछले पाँच साल* मे उत्तीर्ण हुए है यानि वर्ष 2020,2021,2022,2023 और 2024 के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं उन्हे पात्र माना जागा । (*अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 5 वर्ष और शिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने की तिथि)

3. <u>शैक्षणिक योग्यताएं**:**</u>

ए) वर्ग **- I :** स्नातक अपरेंटिस**:-** उम्मीदवार को निम्नलिखित सूचीबद्ध क्षेत्रों में एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक नियमित इंजीनियरिंग स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

i. सिविल इंजीनियरिंग **:** सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक ।

ii. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग **:** i) इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर या ii) इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स स्ट्रीम के किसी भी उप स्ट्रीम के संयोजन के साथ बीई/बीटेक ।

iii. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग **:** i) इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइन्स और इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइन्स / कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ii) इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्युनिकेशन की बेसिक्स स्ट्रीम के किसी भी उप स्ट्रीम के संयोजन के साथ बीई/बीटेक ।

iv. मैकेनिकल इंजीनियरिंग **:** मैकेनिकल/ इंडस्ट्रियल/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक।

बी. वर्ग **- II :** तकनीशियन **(**डिप्लोमा**)** अपरेंटिस**: -** उम्मीदवार को निम्मलिखित सूचीबद्ध क्षेत्रों में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड / मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

i. सिविल इंजीनियरिंग **:** सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

ii. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग **:** इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स स्ट्रीम के किसी भी उप स्ट्रीम के संयोजन के साथ डिप्लोमा ।

iii. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग **:** इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइन्स और इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइन्स / कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स स्ट्रीम के किसी भी उप स्ट्रीम के संयोजन के साथ डिप्लोमा।

iv. मैकेनिकल इंजीनियरिंग **:** मैकेनिकल / इंडस्ट्रियल / ऑटोमोबाइल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

सी. वर्ग **- III** ग्रेजुएट अपरेंटिस**:-** उम्मीदवार को निम्मलिखित सूचीबद्ध क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सामान्य स्ट्रीम में पूर्णकालिक स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

i. सामान्य स्ट्रीम स्नातक**:** बैचलर ऑफ आर्ट्स / बैचलर ऑफ साइंस / बैचलर ऑफ कॉमर्स / बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन / बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस / बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन / बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज में स्नातक ।

दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर उम्मीदवारों के पास अधिसूचित प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यक योग्यता से ऊपर के साथ उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा।

4. आयु सीमा**:** 01.09.2024 को 18-25 वर्ष (जन्मतिथि 01.09.1999 से 01.09.2006 के बीच)। एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट होगी जो की डीवी के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन है।

5. शारीरिक फिटनेस**:** उम्मीदवारों को अधिसूचना में निर्धारित शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानक और संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा अधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित) द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना होगा, जो केंद्रीय / राज्य चिकित्सा सेवाओं के सहायक सर्जन के पद से नीचे न हो । अंत में, मेडिकल फिटनेस को केआरसीएल के मेडिकल अथॉरिटी द्वारा संबंधित मेडिकल श्रेणी में प्रमाणित किया जाएगा। मेडिकल जांच का खर्च उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. पिछला प्रशिक्षण**/**अनुभव**:** जो उम्मीदवार किसी भी सरकारी **/** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम **/** निजी औद्योगिक संगठन में अपरेंटिस**(**संशोधन**)** अधिनियम **1973** के तहत पहले से ही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं**,** वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

II. स्टाइपेंड : **केआरसीएल द्वारा प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के वजीफे के हिस्से का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की सुविधा के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** (डीबीटी) **तंत्र लागू किया गया है (स्नातक के लिए** 4500 **रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों के लिए** 4000 **रुपये प्रति माह)।**

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केआरसीएल संस्था के वजीफे के हिस्से का शेष 50% निम्नानुसार भुगतान करेगा:

स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए- रु.4500/- प्रतिमाह (प्रतिष्ठान का हिस्सा) और

तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षुओं के लिए- रु.4000/- प्रतिमाह (प्रतिष्ठान का हिस्सा)

उम्मीदवार को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान लॉजिंग या बोर्डिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

जो उम्मीदवार केआरसीएल में प्रशिक्षण के लिए ग्रेजुएट अपरेंटिस/तकनीशियन अपरेंटिस के रूप में नामांकित होंगे, उन्हे स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए अपने नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है और पैन कार्ड होना जरूरी है। **डीबीटी के माध्यम से वजीफे का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने तक अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता बनाए रखना होगा।**

<u>**III.** प्रशिक्षण के लिए चयन का तरीका**:**</u>

ए**)** उम्मीदवारों का प्रशिक्षण के लिए चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता के आधार पर तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर होगा । मेरिट सूची संबंधित क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा प्राप्त करने के समय प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी।

बी**)** दो उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है, तो पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को चुना जाएगा जाएगा।

सी**)** अधिसूचित सीटों की संख्या के **3** गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

डी**)** भूमिअधिग्रहित उम्मीदवार, यानी वो उम्मीदवार जिन्होंने कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अपनी जमीन खो दी है, उन्हें प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। भूमिअधिग्रहित उम्मीदवार की परिभाषा इस प्रकार है: "जिसकी भूमि कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी भूमि के अधिग्रहण का प्रतिशत कोई भी हो**,** ऐसा व्यक्ति स्वयं**,** उसका जीवनसाथी **(**पत्नी**/**पति**),** बेटा**,** बेटी**,** पोता**,** पोती केवल पात्र हैं**"**।

इ**)** केआरसीएल क्षेत्राधिकार वाले जिलों यानी महाराष्ट्र राज्य से रायगड़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, गोवा राज्य से उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा और कर्नाटक राज्य से उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ से संबंधित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

<u>**IV.** आवेदन कैसे करें**:**</u>

i. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित विवरण तैयार रखना चाहिए:

ए) सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।

बी) अप्रेंटिसशिप पोर्टल का नामांकन/सत्यापित पंजीकरण विवरण। उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से 2020, 2021, 2022, 2023 या 2024 तक पास-आउट होना चाहिए।

ii. उम्मीदवार केवल केआरसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन करेंगे। उम्मीदवारों को क्विक लिंक → प्रशिक्षुता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के तहत अपरेंटिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के तहत https://konkanrailway.com/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

iii. आवेदन भरना शुरू करने से पहले अधिसूचना में विस्तृत सभी जानकारी और निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें। आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अधिसूचना की सभी जानकारी ठीक से समझ लें।

iv. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

v. उम्मीदवार को शुरुआत में अपनी उम्मीदवारी पंजीकृत करनी होगी। एक रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार होगा यह रजिस्ट्रेशन नंबर उम्मीदवारों को पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से भेजा जाएगा।

vi. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद उसे सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और आवेदन पत्र जमा करना होगा।

vii. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना होगा। उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि केवल मैट्रिक/एसएससी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र मे उल्लेखित अनुसार डालनीचाहिए।

viii. नाम परिवर्तन के मामले में, उम्मीदवारों को आवेदन में केवल अपना परिवर्तित नाम ही अंकित करना चाहिए। हालाँकि अन्य विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र अनुसार चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि (या) ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज डीवी के समय प्रस्तुत करना होंगा ।

ix. उम्मीदवारों के पास अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण के लिए नामांकन की पूरी अवधि के दौरान सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि केआरसीएल प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त होने तक सभी संचार केवल ईमेल के माध्यम से होंगा। केआरसीएल किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

x. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें डीवी के समय सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के दो सेट के साथ सभी मूल दस्तावेजों के साथ लाने होगा।

xi. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों/केआरसीएल के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर नोट कर लें और सुरक्षित रखें।

xii. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई भी दैनिक भत्ता / वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

xiii. यदि उम्मीदवार सत्यापन के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है या कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो प्रशिक्षण के लिए उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा।

xiv. यदि केआरसीएल प्रशासन को यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत/नकली प्रमाण पत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो कोंकण रेलवे प्रशासन के पास एनएटीएस योजना के तहत उम्मीदवार के साथ किए गए प्रशिक्षण अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

xv. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनएटीएस पोर्टल पर अपडेट की गई नवीनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण स्लॉट के लिए आवेदन करें। यदि आवेदक ने गलत स्लॉट के लिए गलती से आवेदन किया है, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन के चरण में खारिज कर दिया जाएगा।

V. **आवेदन :** उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे :

• सभी उम्मीदवारों के लिए फोटो और हस्ताक्षर अनिवार्य है।

VI. दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होंगी ।

ए) डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ सभी सेमेस्टर की मार्कशीट।

बी) जन्म के प्रमाण के रूप में संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं पास/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।

सी) भूमिअधिग्रहित उम्मीदवार के मामले में, संलग्न प्रारूप में एसएलएओ द्वारा जारी प्रमाणित भूमिअधिग्रहण का प्रमाण पत्र।

डी) भूमिअधिग्रहित उम्मीदवार के मामले में, संलग्न निर्धारित प्रारूप में सत्यापित तहसीलदार प्रमाण पत्र।

ई) केआरसीएल द्वारा भूमि अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित भूमि के आरटीसी दस्तावेज़ (7/12, फॉर्म नंबर XIV, आदि) की सत्यापित फोटोकॉपी (हाल की तारीख का दस्तावेज़ स्वीकार्य नहीं है)।

एफ) भूमिअधिग्रहित व्यक्ति के साथ राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया संबंध का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

जी) भूमिअधिग्रहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में (जिसका नाम एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाण पत्र में दर्ज है), कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और भूमिअधिग्रहित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एच) अधिवास प्रमाण पत्र।

आई) केंद्र सरकार के रोजगार के लिए आवश्यक प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के मामले में)।

जे) प्रेस अधिसूचना में अनुलग्नक   में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार तहसीलदार द्वारा जारी ओबीसी-एनसीएल (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र।

के) ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्लॉट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर अनुलग्नक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) प्रशिक्षण स्लॉट के तहत विचार किया जाएगा।

एल) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रोसेसिंग शुल्क माफ करने के लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

एम) प्रसंस्करण शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को प्रेस अधिसूचना में अनुलग्नक के रूप में संलग्न गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

एन) नाम के औपचारिक परिवर्तन के मामले में राजपत्र अधिसूचना और/या कोई कानूनी दस्तावेज।

ओ) दो सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो।

पी) आधार और पैन कार्ड।

क्यू) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी लागू दस्तावेजों की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी लाएँ।

VII. वैध अनुमोदित एनएटीएस आईडी के बिना उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अस्वीकार कर दिया जाएगा।

VIII. आवेदन शुल्क: प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रमांक	उम्मीदवार श्रेणी	शुल्क
1	नीचे उल्लिखित शुल्क रियायत श्रेणियों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम	100/-

	संख्या 2 (नॉन रिफ़ंडेबल)	
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / अल्पसंख्यक / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए।	शून्य

प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान का तरीका**:** केवल ऑनलाइन।

IX. प्रशिक्षण का अग्रीमेंट**:**

निर्दिष्ट ट्रेड में अप्रेंटिस प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेंटिस प्रशिक्षण अनुबंध में प्रवेश करना होगा:

ए**)** जहां अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में नियोक्ता की ओर से विफलता के कारण प्रशिक्षुता का अनुबंध समाप्त हो जाता है (जैसा कि प्रशिक्षुता नियम 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है), उम्मीदवार को निर्धारित अनुसारप्रशिक्षु मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

बी**)** प्रशिक्षु की ओर से अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण प्रशिक्षुता के अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति की स्थिति में (जैसा कि प्रशिक्षुता नियम 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है), उम्मीदवार/ज़मानतकर्ता को इतनी राशि का भुगतान करना होगा प्रशिक्षण की लागत के रूप में शिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सी**)** नियोक्ता की ओर से अपने प्रतिष्ठान में अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर उत्तीर्ण स्नातक/तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं है और न ही प्रशिक्षु की ओर से इसे स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

डी**)** केआरसीएल में रोजगार**:** अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा होने पर केआरसीएल के लिए किसी भी समय अपरेंटिस को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं होगा।

ई**)** प्रशिक्षण की अवधि**:** प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।

एफ़**)** प्रशिक्षण का स्थान**:** उम्मीदवारों को राज्य में केआरसीएल के किसी भी कार्य स्थान, स्टेशन पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश**:**

ए**)** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में केआरसीएल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

बी**)** केआरसीएल में प्रशिक्षण प्रदान करने से प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को केआरसीएल में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा **15.07.1992** को अधिसूचित शिक्षुता नियम**, 1991** की अनुसूची **V** के पैरा **-10** के अनुसार**,** अवधि पूरी होने पर नियोक्ता की ओर से प्रशिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा। नियोक्ता के अधीन रोजगार स्वीकार करना प्रशिक्षु के लिए अनिवार्य नहीं होगा। केआरसीएल में प्रशिक्षण प्रदान करने से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को केआरसीएल में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

सी**)** भर्ती के लिए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

डी**)** किसी भी रूप में किसी भी स्रोत के माध्यम से प्रचार/दबाव डालने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनका नाम पूर्व सूचना के बिना हटा दिया जाएगा। इस मामले में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ई**)** आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता और अन्य मापदंडों को पूरा करते हैं। यदि गलत तरीके से नियुक्ति हुई तो ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना के सम्पूर्ण तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।

एफ़**)** केआरसीएल प्रशासन अचयनित या नहीं बुलाए गए उम्मीदवारों को उत्तर भेजने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई पत्राचार पर इस कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा या उसका उत्तर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से कोंकण रेलवे की वेबसाइट (https://www.konkanrailway.com/) देखते रहें, उनके ई-मेल के साथ-साथ उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस भी देखें जो उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय उनके संबंध में पत्राचार के लिए उपलब्ध कराया था।

जी**)** मुद्रण संबंधी किसी भी त्रुटि के लिए केआरसीएल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

एनएटीएस के तहत प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02/11/2024 है।

(नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को प्राधिकृत माना जाएगा ।)

दिनांक: 03/10/2024

स्थान: बेलापुर

मुख्य कार्मिक अधिकारी

***